प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1—समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2—समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

19B

पत्रांक: 1140/एनआरईजीएस—सेल—/2008 लखनऊ दिनांक 14 अक्टूबर, 2008

विषय: भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (नरेगा) एम0आई0एस0 का स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (यू0पी0 स्वान) के माध्यम से कियान्यवयन विषयक।

महोदय,

आप अवगत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना उत्तर प्रदेश का सम्यक कियान्यवयन तीव्र गति से किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण योजना के कियान्यवयन में पारदर्शिता तथा प्रभावी अनुश्रवण के लिये एन0 आई0 सी0 के सहयोग से एम0 आई0 एस0 का विकास किया गया है ।

उक्त के क्रम में एन0आई0सी0 द्वारा अवगत कराया गया है कि नेशनल ई—गर्वनेन्स प्लान के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा पोषित यू0पी0 स्वान परियोजना का कियान्यवयन आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा एन0आई0सी0 के सहयोग से किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में 885 जनपद/तहसील एवं ब्लाक स्तरीय नेटवर्क आपरेटिग केन्द्रों की स्थापना की जानी है। एन0आई0सी0 द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि कुल 885 स्वान केन्द्रों में से 70 जनपद, 200 तहसील तथा 406 ब्लाक स्तरीय स्वान केन्द्रों में नेटवर्क की स्थापना के उपरान्त लाइन टेस्टिंग भी पूर्ण कर ली गयी है। शेष केन्द्रों पर कनेक्टिविटि हेतु उपकरणों का कय कर लिया गया है तथा शीघ्र ही नेटवर्क कनेक्टिविटी का आश्वासन एन0 आई0 सी0 द्वारा दिया गया है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा एम0आई0एस0) कम्प्यूटरीकरण का सचांलन ब्लाक स्तरीय स्वान केन्द्रों पर उपलब्ध कनेक्टिविटी का प्रयोग करके किया जा सकता है। उक्त सुविधा ब्लाकों को उपलब्ध ब्राडबैंड कनक्टिविटी के अतिरिक्त होगी, ताकि इस महत्वपूर्ण योजना

के एम0आई0एस0 में निर्बाध गति से डाटा इंट्री तथा डाटा ट्रान्सफर किया जा सके ।

नरेगा एम0आई0एस0 के संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही अनिवार्य है ,जिसे आप अपने निर्देशन में अपने अधीनस्थ खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें ।

क– <u>जिन ब्लाकों में स्वान केन्द्रों की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है:–</u>

1–समस्त खण्ड विकास अधिकारी अपने अधीनस्थ किन्हीं एक कर्मी का चयन कर स्वान केन्द्र के संचालन हेतु नामित करेगें, चयनोंपरान्त उक्त कर्मी की सूचना मुख्य विकास अधिकारी तथा डी0आई0ओ0,एन0आई0सी0 को उपलब्ध करायेगें ।

2–उक्त कर्मी को 15 दिन के अन्दर जनपदीय एन0आई0सी0 के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कराना सुनिश्चित करेगें ।

3–उक्त कर्मी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह प्रतिदिन स्वान केन्द्र का खुलना तथा संचालन सुनिश्चित करेगा तथा नरेगा एम0आई0एस0 में हो रही प्रगति से डी0आई0ओ0 एन0आई0सी0 को भी अवगत करायेगा।

4–यदि स्वान केन्द्रों में कुछ सूक्ष्म कार्य अवशेष रह गये हैं, (वर्षा या भवन पुराने होने के कारण यदि कतिपय मरम्मत की आवश्कता हो) तो उक्त का आकलन डी0आई0ओ0 एन0आई0सी0 के माध्यम से करा कर अपने स्तर से कार्य कराया जा सकता है।

5–प्रत्येक ब्लाक स्तरीय स्वान केन्द्रों पर 5 के0वी0ए0 का यू0पी0एस0 उपलब्ध कराया गया है, जो कभी–कभी विद्युत आपूर्ति के न रहने या लो–वोल्टेज की समस्या के चलते उसकी बैटरी चार्ज नहीं हो पाती, (जिसके कारण बैटरी के खराब होने की आशंका रहती है) अतः उक्त के निदान हेतु आवश्यक है कि ब्लाक कार्यालय में उपलब्ध जेनेरेटर से उसे दैनिक रूप से चार्ज करा दिया जाय ताकि नरेगा एम0 आई0 एस0 के संचालन में बाधा उत्पन्न न हो।

ख– <u>जिन ब्लाकों में स्वान केन्द्रों की स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है:–</u>

1–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी इसमें व्यक्तिगत रूचि लेकर सिविल एवं इलेक्ट्रिक्ल कार्यों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था (उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) से यथोचित सम्पर्क स्थापित कर उनके द्वारा कार्यों का निर्माण पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगें, ताकि यथाशीघ्र उनके केन्द्रो पर भी स्वान के माध्यम से नरेगा एम0 आई0 एस0 का कियान्ययवयन सुनिश्चित किया जा सके।

एन0 आई0 सी0 द्वारा यह प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है कि प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के कियान्वयन में प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।

अतः उपयुर्क्त कार्यो के महत्ता के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि कृपया व्यक्तिगत रूचि लेकर उक्त कार्यो का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। कार्य की प्रगति प्रत्येक सप्ताह डी0आई0ओ0(एन0आई0सी0) के माध्यम से एस0आई0ओ0 एवं इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

भवदीय,

Manoj 14.X.08

(मनोज कुमार सिंह)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास ,उ0प्र0।

पत्रांकः1140/एनआरईजीएस–सेल–19B/2008 लखनऊतद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त , उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
3. राज्य सूचना–विज्ञान अधिकारी, योजना भवन, लखनऊ ।

Manoj

(मनोज कुमार सिंह)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास ,उ0प्र0।